

# कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, कन्नौज।

पत्र संख्या सी-1280 / जि०का०अधि०/बा०वि०परि०/विज्ञापि/2025-26 दिनांक- 15 नवम्बर, 2025

## विज्ञापि

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या- 2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद कन्नौज के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का ग्राम पंचायतवार/वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-  
आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्तियों का विवरण :-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	रिक्त पद की आरक्षण श्रेणी			योग
		अनु० जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	
01	तालग्राम	10	13	25	48
02	ग्रामीण	13	12	23	48
03	छिबरामऊ	05	09	13	27
04	उमदा	28	37	74	139
05	हसेरन	07	09	19	35
06	जलालाबाद	12	19	30	61
07	गुगरापुर	05	04	07	16
08	सौरिख	07	10	20	37
09	शहर	12	06	15	33
	योग	99	119	226	444

(नोट:- उपरोक्त तालिका में वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के आधार पर घट बढ़ सकती है।)

उपरोक्त पदों का ग्राम पंचायतवार/वार्डवार/परियोजनावार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चप्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापि पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र करने हेतु विशेष निर्देश :-


- 1 विज्ञापि पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- 2 रिक्त आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।
- 3 आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा को स्थाई निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
- 4 आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना तिथि 01 जुलाई 2025 निर्धारित की गयी है तथा उसे के अनुसार आयु की गणना की जायेगी।
- 5 विज्ञापि पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15/11/2025 से 05/12/2025 ग्यत्र रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

वरीयता :-

- 1 उररी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- 2 विधवा महिला/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उररी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अन्य महिला।
- 3 उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही उररी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- 4 विधवा महिला/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उररी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की अन्य महिला।

नोट :-

- 1 निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
- 2 विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की नकल ही मान्य होंगे।
- 3 तलाकशुदा/परित्यागता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- 4 आय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा०-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
- 5 गरीबी रेखा की आय सीमा का पूर्ण निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- 6 आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा।
- 7 चयन की प्रक्रिया शासनादेश संख्या- 2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित प्राविधान के अनुसार की जायेगी तथा किसी भी चयन को निरस्त किये जाने का अधिकार चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा।

  
 15/11/25  
 (राजेश कुमार वर्मा)  
 जिला कार्यक्रम अधिकारी  
 कन्नौज।

प्रष्ठांकन संख्या- /तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01-निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
- 02-जिलाधिकारी महोदय, कन्नौज।
- 03-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, (चयन समिति अध्यक्ष), कन्नौज।
- 04-समस्त उप जिलाधिकारी महोदय, कन्नौज।
- 05-उप निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
- 06- जिला विद्यालय निरीक्षक, (चयन समिति सदस्य) कन्नौज।
- 07-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, (चयन समिति सदस्य) कन्नौज।

- 08-जिला सेवायोजन अधिकारी, (चयन समिति सदस्य महिला) कन्नौज।
- 09-जिला सूचना अधिकारी कन्नौज को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः 02 मुख्य दैनिक सामचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में निर्धारित शासकीय दरों पर कम से कम स्थान में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 10-समस्त खण्ड विकास अधिकारी महोदय कन्नौज को इस अनुरोध के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रसार-प्रचार कराने का कष्ट करें।
- 11-नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास भवन कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 12-समस्त वाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, कन्नौज को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण उपरोक्त विज्ञप्ति में वर्णित सम्बंधित कार्यालयों को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए प्राप्ति रसीद अधोहरताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 13-कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
कन्नौज।